न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 103/2020

प्रार्थी:–

गोबरराम पुत्र पन्नाराम जाति- रबारी नि वासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री किशोरलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 28/06/21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पीपलून पटवार हल्का गोलिया खसरा संख्या 810/302 रकबा 01.6504 हैक्टयर आई हुई है जो प्रार्थी की सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी का है तथा जिसका एक मात्र खातेदार प्रार्थी ही है। वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थी का नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई उस समय प्रार्थी का नाम गोबरराम के स्थान पर घर में बोल चाल की भाषा का नाम हड़मानाराम पुत्र पन्नाराम राजस्व कर्मचारियों द्वारा इन्द्राज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम गोबरराम पुत्र पन्नाराम है। प्रार्थी का समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,राशनकार्ड,भामशाह कार्ड,बैंक खाता इत्यादि में प्रार्थी का नाम गोबरराम पुत्र पन्नाराम दर्ज है फौतदगी नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से घर पर बोले जाने वाले नाम के कारण हडमानाराम दर्ज कर दिया । अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दिनांक को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी के बयान कलमबद्व कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत गोलिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर हडमानाराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर गोबरराम पुत्र पन्नाराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:04:37 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,वोटरकार्ड,राशनकार्ड,भामशाह कार्ड,बैंक खाता इत्यादि में प्रार्थी का नाम गोबरराम पुत्र पन्नाराम अंकित है । इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गोलिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि हडमानाराम व गोबरराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत गोलिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर प्रार्थी का नाम हडमानाराम पुत्र पन्नाराम के स्थान पर गोबरराम पुत्र पन्नाराम न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम पीपलून पटवार हल्का गोलिया खसरा संख्या 810/302 रकबा 01.6504 हैक्टयर में अंकित अशुद्ध नाम "हडमानाराम पुत्र पन्नाराम" के स्थान पर "गोबरराम पुत्र पन्नाराम" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 28/06/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:04:37 IST
Reason: SelfAttested